छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>*अपील प्रकरण कमांक 917/2007*</u>

1. **श्री राजेश बिस्सा,** — *अपीलार्थी*
21, सेन्ट्रल ऐवेन्यू (वेस्ट),
चौबे कालोनी, रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी*** — *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 25 जून, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री राजेश बिस्सा ने जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय सचिव, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, रायपुर के समक्ष दिनांक 06.07.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया । उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नही मिलने के कारण उनके द्वारा दिनांक 30.07.2007 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु प्रथम अपील का भी समयावधि में निर्णय नही होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 27.09.2007 को यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में जन सूचना अधिकारी को विलंब के लिए दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 29.04.2008 को प्रस्तुत किया गया । कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर में यह बताया गया कि पूर्व में आवेदन पत्र कंपनी को स्थानांतरण करने के आदेश दिये गये थे, किन्तु कंपनी द्वारा यह बताने पर कि उनकी कंपनी पर उक्त अधिनियम लागू नही है तथा बाद में उन्हें माँगी गई डी0पी0आर0 की जानकारी के बारे में तकनीकी समिति से मार्गदर्शन लेने का निर्देश दिया गया, तत्पश्चात् अपीलार्थी को दिनांक 11.10.2007 के पत्र से सूचित किया गया । शासन द्वारा प्रस्तुत कोई भी डी0पी0आर0 शासन द्वारा स्वीकृत नही किया गया है और कंपनी को डी0पी0आर0 स्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया गया है तथा तकनीकी उप समिति द्वारा स्वीकृत डी0पी0आर0 की प्रति शासन के

पास उपलब्ध नही है । प्रकरण में बाद में सुनवाई के दौरान स्पष्ट किये जाने पर कि उन्हें दो मार्गो की डी0पी0आर0 की प्रति चाहिए थी, वह जानकारी दिनांक 14.03.2008 को 1747 पृष्ठ की प्रति निःशुल्क प्रदान की गई है । उपरोक्त स्थिति में कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषप्रद प्रतीत होता है और विलंब के लिए जो कारण बताया गया है, उसे संतोषप्रद मान्य किया जाकर उक्त कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है, क्योंकि विलंब जानबूझकर नही किया गया और उसके पीछे कोई दुर्भावना नही थी । प्रकरण में हुये विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 400/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त